तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/09/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादीगण उप.1 पैरोकार [illegible] उप.1 प्रतिवादी 3 की तरफ से अधिवक्ता स्वर्णम जोशी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल हो आज उपस्थिति बहस प्रकरण सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/10/24 को पेश हो। ([illegible]) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	
17/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उ.स.अ. उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़	
06/11/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उप.1 बहस प्रकरण सुनी गई वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय व डिक्री पृथक से टंकित करवाकर शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। ([illegible]) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल आर.ए.एस
प्रकरण संख्या : 262/2011 (2011/00214)

अनवान

1. बिलाल अली उर्फ राजु पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
2. निसार अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
3. साबीर अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
4. अमानत अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
5. दौलत अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
6. श्रीमति बिसमिल्लाह बेगम पत्नी पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ

–वादीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये श्री जिला कलेक्टर सा. चित्तौडगढ
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ
3. श्री नगरपालिका चित्तौडढ जरिये आयुक्त महोदयजी चित्तौडगढ

–प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 88–188–209 आर.टी.ए.
उपस्थिति : श्री अभिषेक गर्ग अधिवक्ता वादीगण
श्री पैरोकार सरकार
श्री संजय जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय **दिनांक 06.11.2024**

वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है वादी ने विरूद्व प्रतिवादीगण धारा 88–188–209 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चंदेरिया रामदेव जी का तहसील चित्तौडगढ मे वादीगण के पिता/पति स्व. पीरू खाँ जी के नाम प्रथम सेटलमेंट 1985 मे पुरानी आराजी नंबर 58/1 मीन रकबा 57 बीघा 10 बीस्वा मे से 11 बीघा आराजी पीरू खाँ के खाते मे कब्जे मे दर्ज रेकार्ड थी। उक्त पुरानी आराजी के प्रथम सेटलमेंट के वक्त नवीन आराजी नंबर 157 रकबा 2.01 हे दर्ज हुए तथा द्वितिय सेटलमेंट हुआ तब नवीन आराजी नम्बर 371/157 रकबा 2.01 हे. दर्ज हुए एंव नक्शा तरमीम हुआ ।

उक्त पुरानी आराजी नंबर 58/1 मी. मे से 11 बीघा आराजी के प्रथम नवीन आराजी नंबर 371/157 दर्ज हुए इन उक्त आराजीयात को इस वाद मे विवादित होना दर्शाया गया है।

वादीगण के पिता/पति को देहांत सन् 2003 मे हो गया है। वादीगण मृतक खातेदार पीरू खाँ के उत्तराधिकारी होने से यह वाद पेश कर रहे है। उक्त विवादित आराजीयात नंबर 58/1 मी. जिन्हे पीरू खां पिता फैयाज खाँ मुसलमान ने रामदेव जी का चंदेरिया निवासी गुमानसिंह जी से खरीद कर ली थी, जिसका बापी पट्टा सन् 1985 से पूर्व स्व.पीरू खाँ को मिला

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

खरीद समय से ही वादग्रस्त आराजीयात पर लगातार कब्जे मे रहा किन्तु अनपढ व गरीब होने से खाते मे दर्ज नहीं हुई तब स्व.पीरू खाँ ने सहायक भू–प्रबंधक विभाग मे प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.1985 को मिसल नंबर 81/85 से पेश किया, जिसमे ए.एस.ओ. साहब ने दिनांक 25.05.1985 को पीरू खां का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्व. पीरू खाँ के नाम खातेदारी दर्ज करने एंव नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने का निर्णय दिया । उक्त निर्णय की पालना मे स्व.पीरू खां के पक्ष मे इंतकाल खाता खोला गया तब नवीन आराजी नंबर 371/157 रकबा 2.01 हे. खाते मे दर्ज किये गये, जिसका खसरा पत्रक के पेज संख्या 92 पर अंकित कर नोट लगाया गया तथा नवीन नक्शे मे तरमीम किया जाकर नक्शा ट्रेस मे भी नवीन आराजी नंबर 371/157 अंकित किये गये ।

दुबारा सेटलमेंट हो जाने से प्रतिवादी नंबर 1, 2 के अधीन राजस्व कर्मचारियों ने भुल से नवीन आराजी नंबर 371/157 का दाखिला रोटेशन की चालु जमाबंदीयों मे अंकित नही होने से स्व. पीरू खां का नाम खाते मे दर्ज नहीं हो पाया जबकि तरमीम नक्शे मे आज भी अंकित है। आज तक कब्जा वादीगण का चला आ रहा है। जिससे वादीगण के पक्ष मे घोषणात्मक डिक्री दिलायी जाने हेतू वाद पत्र घोषणा हेतू पेश है।

मुल खातेदार स्व.पीरू खाँ को अंतिम सेटलमेन्ट के समय जमाबंदी मे नाम अंकित नहीं होने से विवादित आराजी नंबर 371/157 रकबा 2.01 हे. प्रतिवादी नंबर 3 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर चुपके से अपने खाते मे दर्ज करा लिया । दिनांक 26.04.2011 को वादी संख्या 1 विवादित आराजीयात पर देख, रेख करने गया तो वहा प्रतिवादी नम्बर 3 के कर्मचारियो द्वारा प्लाट काट कर बेचने की बात कर रहे थे । उक्त बात सुनकर वादी ने विवादित आराजीयात का रेकार्ड चैक कराया तो उक्त सभी विवादित आराजीयात वादीगण के खाते मे दर्ज होना नही पाया गया । जिस पर वादी कानूनी राय हेतू वकील नियुक्त किया तथा प्रतिवादीगण को तारीख 13.06.2011 को रजिस्टर्ड नोटिस 2 माह का प्रेषित किया तो भी नही मान जबरन प्लोट काट निलाम करने पर एंव वादीगण का जबरन विरासती 50 साल पुराना कब्जा छिनने पर उतारू है जिससे ऐसा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री हेतु पेश है।

वाद कारण दिनांक 26.04.2011 को प्रतिवादी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात को विक्रय कर प्लोट काटने हेतु कहने से व जबरन कब्जा छिनने की धमकिया देने से एंव दिनांक 13.06.2011 को दो माह का नोटिस देने के उपरांत भी नहीं मान जबरन बेदखली की धमकिया देने से पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वाद पेरा 1 मे अंकित विवादित नवीन आराजी नम्बर 371/157 रकबा 2.01 हे. (पुराने आराजी नम्बर 58/1 , 157 रकबा 2.01 हे.) का वादीगण को खातेदार होने की घोषणात्मक डिक्री एंव प्रतिवादी नम्बर 3 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने की इश्तदुआ की ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 14.03.2012 को जवाब प्रस्तुत किया ।

वादपत्र एंव जवाब के आधार पर प्रकरण मे वाद बिन्दु कायम किये गये।

वादीगण ने वाद पत्र के कथन पुष्टि में दस्तावेजी सबूत के रूप मे ग्राम प्रदर्श–1 ए.एस.ओ. भीलवाडा की मि.न. 81/85 की आदेशिका की प्रमाणित

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(भानु ...)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

CamScanner

प्रति , प्रदर्श–2 पानडी दिलवाने के आवेदन की प्रति , प्रदर्श–3 नकल मौका रिपोर्ट , खसरा पत्र की नकल प्रदर्श–4 , प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी 2009–2012 , प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी 2012 से 2015 , प्रदर्श–7 खसरा महकमा बन्दोबस्त , प्रदर्श–8 2042 नकल जमाबन्दी , प्रदर्श–9 2044 नकल जमाबन्दी , प्रदर्श–10 नकल जमाबन्दी 2045 से 2048 , प्रदर्श–11 नकल जमाबन्दी 2049 से 2052 , प्रदर्श–12 नकल जमाबन्दी 2053 से 2056 , प्रदर्श–13 नकल जमाबन्दी 2057 से 2060 , प्रदर्श–14 , प्रदर्श–15 , प्रदर्श–16 खतौनी भूप्रबन्ध विभाग , प्रदर्श–17 व प्रदर्श–18 साबिक नक्शा ट्रेस , प्रदर्श–19 नोटिस 80 सीपीसी की कार्बन प्रति , प्रदर्श–20 से प्रदर्श–22 तक डाक विभाग मे की रजिस्ट्री कराई उसकी रसीद प्रस्तुत की। प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप मे pw1 वादी बिलाल का शपथ पत्र एंव pw2 रमेशचन्द्र के बयान कराये गये अधिवक्ता प्रतिवादीगण 3 की ओर जिरह की गई । प्रतिवादी सख्या 3 की और से मौखिक साक्ष्य के रूप मे ग्वाह प्रतिवादी गोपाल कृष्ण जागेटिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया । बयान हेतु उपस्थित नही हुए। दिनांक 12.04.2021 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

हमने वाद पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए विवादित नवीन आराजी नम्बर 371/157 रकबा 2.01 हे. का वादीगण को खातेदार घोषणा कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया इसके विपरीत प्रतिवादीगण 1 से 3 ने अपने जवाब मे वाद पत्र के तथ्यो का खण्डन करते हुए वाद पत्र को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे कायम बिन्दू उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर निम्न प्रकार निर्णित किये जाते है–

तनकी नंबर –1

आया ग्राम रामदेवजी का चन्देरिया तहसील चित्तौडगढ की आराजी नम्बर 371/157 रकबा 2.01 हे. साबिक आराजी नम्बर 58/1 , 157 रकबा 2.01 का वादीगण खातेदार होने की घोषणा कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत के अवलोकन से जाहिर आया है कि विवादित आराजीयात ग्राम रामदेवजी का चन्देरिया जिसके साबिक आराजी नम्बर 58/1 मीन रकबा 57 बीघा 10 बस्वा सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी प्रदर्श–5 , प्रदर्श–6 मे वादीगण के पिता/पति के खाते मे दर्ज नही होकर बिलानाम दर्ज थी। जो सेटलमेन्ट के बाद जमाबन्दी प्रदर्श–8 मे भी विवादित आराजीयात बिलानाम ही दर्ज है। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्श नही करवाया जिससे साबित हो सके कि विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के पिता/पति के खाते मे दर्ज थी। ऐसी स्थिति मे वादीगण विवादित आराजीयात अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी नही पाया जाता है। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(नीनू ...)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

CS CamScanner

तनकी नंबर –2

आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । तनकी नंबर 1 के विस्तृत विवेचन से उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित हुई है। विवादित आराजीयात वादीगण के खातेदारी की साबित नही होने से वादीगण खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही पाये जाने से उक्त तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

अनतोष –

वादीगण अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में असफल रहने से वादीगण ग्राम रामदेवजी का चन्देरिया की नवीन आराजी संख्या 371/157 रकबा 2.01 हे. के संबंध में घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा के अधिकारी नही पाये जाते है।

अतः वादीगण का वाद बाबत् ग्राम रामदेवजी का चन्देरिया की नवीन आराजी संख्या 371/157 के संबंध मे घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का शहादत सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

(भानू दत्त)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. बिलाल अली उर्फ राजु पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
2. निसार अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
3. साबीर अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
4. अमानत अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
5. दौलत अली पिता पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ
6. श्रीमति बिसमिल्लाह बेगम पत्नी पीरू खाँ मुसलमान नि.पुठोली तह.गंगरार जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये श्री जिला कलेक्टर सा. चित्तौडगढ
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ
3. श्री नगरपालिका चित्तौडढ जरिये आयुक्त महोदयजी चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 88—188—209 आर.टी.ए.
प्र.सं. 262/2011 (GCMS 2011/00214)

वादीगण की ओर से वकील श्री अभिषेक गर्ग की, और प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से श्री पेरोकार सरकार व प्रतिवादी 3 की ओर से संजय जोशी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र बाबत् ग्राम रामदेव जी का चन्देरिया की नवीन आराजी संख्या 371/157 रकबा 2.01 हे. के संबंध में घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का शहादत सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है।
इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी जावे। यह आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

CamScanner